न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः सीता शर्मा आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 58/24 **दायर दिनांकः– 07–03–2024**

1– मदनलाल पुत्र श्री लेखराम
2– हनुमानप्रसाद पुत्र श्री लेखराम
3– शान्ति देवी पत्नी श्री लेखराम
4–श्योचन्द पुत्र श्री धन्नाराम

} अकवाम जाट साकिनान हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राज0

———प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

———अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी ए

उपस्थित :–

1– श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी अभिभाषक प्रार्थीगण सं0 1 ता 4
2– पैराकार राज तहसीलदार सूरतगढ

–:– निर्णय –:–

दिनांकः– 22.5.24

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 2 जे बी डी तहसील सूरतगढ के खाता स0 95/74 के प0न0 233/8 मु0न0 89 के किला नं0 11 ता 14/1, 17/1 ता 23/1 में 2.428 है0 अ0क0 भूमि 1955 से पूर्व की प्रार्थीगण के नाम से अंकित है । प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में आने जाने हेतू प्रार्थीगण की भूमि के पश्चिमी पास में स्थित प0न0 213/64, 213/56, 213/48 व 213/40 प्रत्येक के किला न0 21 ता 25 में मुरब्बा लाईन पर पूर्व से पश्चिम की और चल रहे स्वीकृत शुदा रास्ता से होकर प्रार्थीगण अपनी भूमि के प0न0 233/8 के किला न0 21 ता 23 मुरब्बा लाइन से होता हुए नहर के पटडे तक जाते है । प्रार्थीगण के खेत से पहले पश्चिमी दिशा में स्थित प0न0 213/64 तक रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत है परन्तू प्रार्थीगण के नाम की भूमि प0न0 233/8 के किला न0 21 ता 23 में रास्ता स्वीकृत नही है । प्रार्थीगण उक्त चालू रास्ता वाके चक 2 जे बी डी तहसील सूरतगढ के प0न0 233/8 के किला न0 21/0.025 है0, 22/0.025 है0, 23/0.013 है0 कुल 0.063 है0 मुरब्बा लाईन पर पूर्व से पश्चित लम्बाई में रास्ता को स्वीकृत करने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 251 (क) एवं राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68–70 के तहत नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में उक्त वाद में अंकित तथ्यों की जांच हेतु रिपोर्ट भू–अभिलेख निरिक्षक एव पटवारी हल्का द्वारा बिन्दुवार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा तैयार कर भिजवाई गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.22 17:30:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ से प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थीगण का अभिभाषक प्रमेन्द्र सिंह भाटी उपस्थित ।

इसके पश्चात प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थीगण के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाके चक 2 जे बी डी तहसील सूरतगढ के खाता स0 95/74 के प0न0 233/8 मु0न0 89 के किला नं0 11 ता 14/1, 17/1 ता 23/1 में 2.428 है0 अ0क0 भूमि 1955 से पूर्व की प्रार्थीगण के नाम से अंकित है । प्रार्थीगण के खेत से पहले पश्चिमी दिशा में स्थित प0न0 213/64 तक रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत है परन्तू प्रार्थीगण के नाम की भूमि प0न0 233/8 के किला न0 21 ता 23 में रास्ता स्वीकृत नही है । प्रार्थीगण उक्त चालू रास्ता वाके चक 2 जे बी डी तहसील सूरतगढ के प0न0 233/8 के किला न0 21/0.025 है0, 22/0.025 है0, 23/0.013 है0 कुल 0.063 है0 में मुरब्बा लाईन पर पूर्व से पश्चित लम्बाई में रास्ता को स्वीकृत करने का निवेदन किया।

उभय पक्षो की बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावैजो तथा तहसीलदार राजस्व सूरतगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण के नाम भूमि वाके चक 2 जे बी डी तहसील सूरतगढ के खाता स0 95/74 के प0न0 233/8 मु0न0 89 के किला नं0 11 ता 14/1, 17/1 ता 23/1 में 2.428 है0 अ0क0 भूमि से पहले पश्चिमी दिशा में स्थित प0न0 213/64 तक रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत है परन्तू प्रार्थीगण के नाम की भूमि प0न0 233/8 के किला न0 21 ता 23 में रास्ता स्वीकृत नही है । प्रार्थीगण की भूमि में वाके चक 2 जे बी डी तहसील सूरतगढ के प0न0 233/8 के किला न0 21 में 0.025 है0, 22/0.025 है0, 23/0.013 है0 कुल 0.063 है0 मुरब्बा लाईन पर पूर्व से पश्चित लम्बाई में चालू रास्ता स्वीकृत किया जाना सही है । इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि में वाके चक 2 जे बी डी तहसील सूरतगढ के प0न0 233/8 के किला न0 21 में 0.025 है0, 22/0.025 है0, 23/0.013 है0 कुल 0.063 है0 मुरब्बा लाईन पर पूर्व से पश्चिम लम्बाई में चालू रास्ता की भूमि प्रार्थी सं0 1 ता 3 के नाम से बहिस्सा बाबर 1/2 हिस्सा एव प्रार्थी न0 4 के नाम से 1/2 हिस्सा कलमजन कर गै0मु0 रास्ता के नाम अंकन करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.5.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.22 17:30:44 IST
Reason: SelfAttested

(सीता शर्मा)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ